

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावत, जावरा ए जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि०मी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सूजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :- 311/XI/16/56(08)2014 दिनांक 21 जनवरी 2016 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट जयकण्डी की आवादी 299 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अच्युत रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार दुवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 0.828 है, सिविल सौयम भूमि 0.000 है, वन पंचायत भूमि 1.456 है, प्रारम्भ करते हुए अजयपुर एवं ककोला गांव को जोड़ते हुए 3.00 कि०मी 0 की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 2 द्वारम् करते हुए अजयपुर एवं ककोला गांव को जोड़ते हुए 3.00 कि०मी 0 की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 2 हेयर पिन बैंड आते हैं। इस संरेखण-1 में रोड में (1क०20 त्र 1क०24 त्र 1क०40 त्र 1क०20 ल) ग्रेड आते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण प्रारम्भित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि 0.000 है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना अधिनियम 1980 के अधिकारी गणना 7 मीटर चौड़ाई में की हेतु दुक्षों की गणना 7 मीटर में की गई है जो की वास्तविक रूप से पातन किये जाने हैं। भूमि अधिग्रहण 7 मीटर चौड़ाई में की गई है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डेक्स नान्यित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं० 1 :- उक्त मोटर मार्ग निर्माण के लिए संरेखण-1 पूर्व निर्मित जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के किमी० 9.00 से प्रारम्भ करते हुए अजयपुर एवं ककोला गांव को जोड़ते हुए 3.00 कि०मी० की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 2 हेयर पिन बैंड आते हैं। इस संरेखण-1 में रोड में (1क०20 त्र 1क०24 त्र 1क०40 त्र 1क०20 ल) ग्रेड आते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण किमी० 1 लम्बाई में हिल साइड कटिंग का कार्य किया जाना है। इसलिए 3.00 कि०मी० सर्वेक्षण कर संरेखण-1 तैयार किया गया है। संरेखण-1 में व्यक्तिगत नाप भूमि, वनभूमि एवं सिविल सौयम भूमि आती है। संरेखण-1 से ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से सहमत हैं।

संरेखण नं० 2 :- उक्त मोटर मार्ग निर्माण के लिए संरेखण-1 पूर्व निर्मित जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के किमी० 9.00 से प्रारम्भ करते हुए अजयपुर एवं ककोला गांव में 3400 कि०मी० की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 3 हेयर पिन बैंड आते हैं। इस संरेखण-1 में रोड में (1क०20 त्र 1क०24 त्र 1क०40 त्र 1क०20 ल) ग्रेड आते हैं। उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 12.00 कि०मी० लम्बाई है। इस संरेखण-1 में रोड की स्वीकृति प्राप्त है लेकिन वास्तविक लम्बाई 12.400 कि०मी० आती तथा 3.00 कि०मी० लम्बाई में हिल साइड कटिंग का कार्य किया जाना है। इसलिए 3.00 कि०मी० सर्वेक्षण कर संरेखण-2 तैयार किया गया है। इस संरेखण में 12 मी० स्पान का 1 कल्वर्ट भी आते जाना है। इस संरेखण-2 में व्यक्तिगत नाप भूमि, वनभूमि एवं सिविल सौयम भूमि आती है। संरेखण-2 से ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। संरेखण-2 में व्यक्तिगत नाप भूमि, वनभूमि एवं सिविल सौयम भूमि आती है। संरेखण-2 उपयुक्त नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं०1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूर्गीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 3.00 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के एवं भूर्गीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 3.00 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार नाप भूमि में 9 मीटर चौड़ाई तथा 2.080 कि०मी० लम्बाई में आने वाली आरक्षित वनभूमि तथा सिविल सौयम भूमि 1.456 है। अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कविता अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
संदर्भ प्रयोग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


अधिकारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग